

आज दिनांक 12-02-2021 को सिविल सर्जन कार्यालय में Family Planning Incentive Scheme को वहत Family Planning Failure Cases को Payment के लिए वक्त Meeting बुलाई गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

- 1. Dr Santlal Verma. Civil Surgeon Panipat
- 2. Dr Sudhir Bhatnagar Dy. C.S. Panipat F.W.
- 3. Dr Shashi Lata L.M.O. G.H. Panipat
- 4. Dr Dinesh Goutam Surgeon G.H. Panipat
- 5. Anil Lathwal. Legal Advisor

इस Meeting में निम्न बिन्दु पर विचार विमर्श हुआ

कैस नं 1. दर्रज SI. रामभद्र को NSV दिनांक 11-02-2020 को सिविल अस्पताल पानीपत में हुई। इसने अपना सीजन टेस्ट 7-7-2020 व 15-7-2020 को G.H. Panipat में कराया जो रिजल्टिव पाया गया। फिर 6-2-2021 को Private Diagnostic Center में कराया Positive पाया गया सभी रिपोर्ट पाई को सॉन्ग-सेकलन है। सहकारी पत्र व वन्चीकरण प्रमाण पत्र भी पाई को सॉन्ग सेकलन है। सभी रिपोर्ट को देखते हुए मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि लाजाबर्ष को क्षतिपूर्ति योजना को वहत वाली का मुआवजा कर दिया जाए।

कैस नं 2. मनीशा w/ अग्रजाना व जीर पुर टियना को अप्रैल -

CHC Smalkha में हुआ दिनांक 21-12-2018 में हुआ इसने काद 11-09-2019 को सामान्य अस्पताल पानीपत में उसने लडवी को जन्म दिया जिसका प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र व ANC कार्ड भी पाई को सॉन्ग सेकलन है। वन्चीकरण प्रमाण पत्र व सहकारी पत्र भी पाई को सॉन्ग सेकलन है। मासिक अन्वेषण 33 को रिपोर्ट नहीं लगी हुई है मरीज ने लाजाबर्ष को देखा है ज वत

संभव बताया कि अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट रीटिलीवरी के समय फाइल में लगा दी। परन्तु F.W. से रिपोर्ट लिखा तो अल्ट्रा साउंड की रिपोर्ट नहीं मिली। अन्य सभी रिपोर्ट को देखते हुए निरंतर से यह निर्णय लिखा गया कि लाजावर्षी के क्षतिपूर्ति योजना के तहत शाही या मुगतान कर दिया जाए।

12/2/2021
CS,

12/2/21
Lmd (Genae)

Parth Adv.

[Signature]